कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, बीकानेर

क्रमांक एफः/कार्मिक/उवसंवजी/2023–24/3684 दिनांक 18-12-2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की अनुशंषा के आधार पर वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, 2020 के अंतिम परिणाम के अनुसार एवं राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 2015 के अनुसरण में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को वनरक्षक के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्रों तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर नियुक्त किये जाने के आदेश एतद्द्वारा जारी किये जाते हैं :–

क्र. सं.	रोल न.	नाम अभ्यर्थी (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पिता का नाम	जन्मतिथि	अभ्यर्थी की मूल श्रेणी/वर्ग	वर्ग जिसके विरूद्ध चयन हुआ	अभ्यर्थी की स्कैन फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1913964	राहुल टाडा	श्री राधा किशन	30.04.2002	ओ.बी.सी.	सामान्य	
2	1914461	नरपत सिंह	श्री महेन्द्र सिंह भाटी	06.12.1993	सामान्य	सामान्य	
3	2316492	श्रवण राम जल	श्री पोकर राम	08.08.1998	एस.सी	एस.सी	
4	3044756	इन्द्राज	श्री बलराम	07.08.2000	एस.सी	एस.सी	
5	2399991	सेन राम	श्री माला राम	10.07.2000	एस.सी	एस.सी	
6	2399467	सुखविन्द्र मेहरा	श्री कृष्ण कुमार	15.07.1997	एस.सी	एस.सी	
7	3047293	कोशल्या गोदारा	श्री रामप्रताप गोदारा	05.12.1996	ओ.बी.सी.	ओ.बी.सी.	
8	1908279	नंदराम चालिया	श्री चंदा राम चालिया	07.08.1998	एस.सी	एस.सी	
	1911669	राजा राम नायक	श्री विजय कुमार नायक				

RajKaj Ref 5198270

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Kumar Chhalani
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 15:39:54 IST
Reason: Approved

10	1913604	रजनी खटीक	श्री हरी मोहन	02.05.1995	एस.सी	एस.सी	

उपरोक्त नियुक्तियां, निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अध्यधीन जारी की जा रही है :—

1. उक्त नियुक्ति आदेश वनरक्षक के पद पर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के अन्तर्गत जारी किया गया है। यह नियुक्ति उपरोक्त सेवा नियमों में अधिकारित निबन्धनों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन की गई है।
2. नवनियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 12.01.2024 तक वनरक्षक के पद पर कार्यग्रहण करने के संबंध में अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाकर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, वनरक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण/उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से मान्य होगी।
4. नवनियुक्त परिवीक्षाधीन वनरक्षक को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा।
5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या राजस्थान सिविल सेवा. (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ 4 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगें।
6. परिवीक्षाकाल (Probationer-Training) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों अनुसार देय होगें।
8. नवनियुक्त वनरक्षकों को देय पेंशन योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी प्रभावी प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये/जाने वाले हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
9. उक्त नियुक्ति आदेश में अभ्यार्थियों की जन्मतिथि वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और उन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
10. नव नियुक्त वनरक्षकों को विभाग द्वारा यथासमय सूचित किये जाने पर 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस क्रम में समस्त नवनियुक्त वनरक्षकों पर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में विहित प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू होंगें।
11. यदि राज्य सरकार /विभाग की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा अवधि/प्रशिक्षण अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाया जाता है अथवा यह प्रतीत होता है कि इनमें एक दक्ष वनरक्षक होने की क्षमता नहीं है, तो विभाग (राज्य सरकार) इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
12. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका नियमितिकरण एवं वेतन निर्धारण वनरक्षक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या– 4 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होगें।
13. नवनियुक्त वनरक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 42 के अनुरूप होगा।
14. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही अन्य नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन [illegible] नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50 रू. के नॉन [illegible] शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है/सही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी/गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवाऐं समाप्त की जा सकेंगी एवं पुलिस

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Kumar Chhalani
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 16:39:54 IST
Reason: Approved

विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेंगी।

16. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
17. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2) वित्त (नियम)/2021 पार्ट दिनांक 25.02.2022 एवं 26.05.2022 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जायेंगी।
18. वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5 (5) FD/INSURANCE/2020 दिनांक 09.04.2021 के अनुसार RGHS योजना लागू होगी।
19. उक्त नियुक्ति, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/नियम/परिपत्रों के अध्ययधीन होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/नियम/परिपत्र भी लागू होंगें।
20. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(13)कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के निर्देशों अनुरूप शपथ प्रस्तुत करना होगा।
21. वनरक्षक के पद पर नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग–पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की नियमानुसार निर्धारित राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की नियमानुसार निर्धारित राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेगें।
22. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 में अंकित पुलिस सत्यापन निर्देशों की पालना में नियुक्ति आदेश पूर्णतः प्रोविजनल जारी किये जाते हैं। उक्त नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी होने वाली सत्यापन रिपोर्ट के अध्धधीन रहेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत अभ्युक्ति होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त माना जा कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में पद ग्रहण हेतु दी जाने वाली उपस्थिति के समय उपस्थिति रिपोर्ट के साथ पुलिस द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र अपेक्षित रहेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये नियुक्तियां प्रोविजनल रहेंगी।
23. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन या अन्य कोई दस्तावेज शेष हैं, वे कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज संबन्धित कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करें।
24. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 के सन्दर्भ में शपथ–पत्र के रूप में "Self declaration" प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।
25. सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
26. नियुक्त किये गए विवाहित अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने से पूर्व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, उनकी जीवित संतानों की सूचना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। विवाहित/अविवाहित दोनों स्थिति में दहेज न लेने संबंधी घोषणा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय समय में धूम्रपान/गुटखा नहीं खाने का/मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने का आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
27. दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगें, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चात्वर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान उत्पन्न हुई है, तो ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जावेगा।
28. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों (जो अभ्यर्थी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करने होंगे) की जांच/प्रमाणीकरण के अध्यधीन रहेंगी (दो सेट छायाप्रति सहित)।
29. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा निर्धारित अवधि या कार्यग्रहण हेतु अनुमत विस्तार अवधि में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी का उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।

RajKaj Ref
5198270

Signature valid

Digitally signed by Sandeep Kumar Chhalani
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 [illegible]:39:54 IST
Reason: Approved

(संदीप कुमार छलानी)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, बीकानेर

क्रमांक / समसंख्यक / 3685-3710 दिनांक 18-12-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ15(25)2023 / कार्मिक-भर्ती / प्रमुवसं / 6728-6809 दिनांक 13.12.2023 के कम में ।
2. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।
4 DCF (IT) अरण्य भवन जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय वेबसाइट पर उक्त सूचना प्रकाशित कराने का कष्ट करावें।
5. निजी पत्रावली संवंधित अभ्यर्थी श्री..
6. बिल शाखा कार्यालय हाजा।
7. श्री..

....
8. रक्षित पत्रावली।

उप वन संरक्षक
वन्यजीव, बीकानेर

Signature valid

RajKaj Ref
5198270

O/C

Digitally signed by Sandeep Kumar Chhalani
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 15:39:54 IST
Reason: Approved